बिहार विधान परिषद

(203 बजट सत्र)

01 मार्च 2023

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

कुल प्रश्न 21

व्यवस्था सुनिश्चित करना

***22 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार गृहविहीन पिछड़ों और दलितों को 73 करोड़ की राशि खर्च कर जमीन खरीदकर बसायेगी;

(ख) क्या यह सही है कि गृहविहीन अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए रैयती जमीन खरीदने के लिए 66 करोड़, पिछड़ा वर्ग वासहीन परिवारों के गृह स्थल के लिए 3 करोड़ एवं टी.एस.पी. योजना के तहत गृहविहीनों के लिए वास भूमि पर 4 करोड़ खर्च करेगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सामान्य जाति के अत्यन्त गरीब एवं निर्धन परिवारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

निर्माण कार्य हेतु निदेश

***23 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम में कतिपय कारणों से भवन का नक्शा पिछले वर्ष से ही स्वीकृत नहीं किया जा रहा है जिसके कारण निजी भवन, अपार्टमेंट अथवा वाणिज्यिक भवन का निर्माण-कार्य लंबित है;

(ख) क्या यह सही है कि सूबे के अन्य नगर निगमों में नक्शा जमा भी हो रहा है और पास भी हो रहा है;

(ग) क्या खण्ड 'क' में वर्णित परस्थितियों के कारण पूरे शहर में अवैध निर्माण को बल मिल रहा है और सरकार को भी राजस्व की क्षति हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी कोटि के भवन का नक्शा स्वीकृत किये जाने हेतु पटना नगर निगम को यथोचित निदेश देना चाहती है ताकि निर्माण-कार्य आगे बाधित नहीं हो, यदि हां तो कबतक?

सड़क का निर्माण

***24 मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बैरगनिया नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत डुमरवाना गौट से हवा महल होते हुए डुमरवाना मुख्य पथ का नाला एवं सड़क निर्माण नहीं रहने के कारण आमजनों को आने-जाने में काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भवन की मरम्मती

***25 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-
क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चंपारण, मोतिहारी जिले के रक्सौल प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित अंचल कार्यालय का रेकर्ड भवन जर्जर हो चुका है तथा वहां रखे कागजात

सड़-गलकर कचरे में तब्दील हो गए हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अंचल कार्यालय के रेकर्ड भवन की मरम्मती कराने तथा उसमें रखे गये शेष बचे कागजात को सुरक्षित ढंग से अन्यत्र रखवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई

***26 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत नगर परिषद्, दानापुर क्षेत्र के अधीनस्थ एक से चालीस वार्डों में नगर परिषद् के द्वारा विगत दो वित्तीय वर्षों से कराये गये सभी कार्य गुणवत्ता के विपरीत हैं;

(ख) क्या यह सही है कि खण्ड 'क' में वर्णित कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता बरती गई है और उसमें नगर कार्यपालक पदाधिकारी की संलिप्तता प्रथमदृष्टया प्रमाणित होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दानापुर नगर परिषद् द्वारा विभिन्न वार्डों में कराये गये सभी कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मुआवजा का भुगतान

***27 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि छह वर्षों से पूर्व में मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन, कांटी के लिए भूमि अधिगृहीत की गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि यह मौजा- धमौली रामनाथ (चादर नं०-05) थाना नं०-496, अंचल- कांटी, जिला- मुजफ्फरपुर में छह एकड़ चौंसठ डिसमिल भूमि आपात प्रक्रिया के अन्तर्गत अधिग्रहण हेतु अधिसूचना सं०- 2757 / रा०, दिनांक 03.12.2013, बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू-अर्जन प्रशाखा द्वारा निर्गत की गई थी;

(ग) क्या यह सही है कि अभी तक अधिगृहीत भूमि के मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अधिगृहीत भूमि के

मुआवजा का भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जमीन का नक्शा

*28 **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक)ः**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी प्रखंडों में आमजनों को अपनी जमीन का नक्शा ऑनलाइन ऑर्डर करने पर उनके घर तक पहुंचाकर देने की व्यवस्था की जा रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस संबंध में बनाई गई कार्ययोजना से सदन को अवगत कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

सामूहिक किचन की व्यवस्था

*29 **श्री भूषण कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार)ः**

क्या मंत्री, **आपदा प्रबंधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में 2020 में बाढ़ आई थी;

(ख) क्या यह सही है कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामूहिक किचन की व्यवस्था कराई गई थी;

(ग) क्या यह सही है कि 2020 के बाद के दौरान सामूहिक किचन संचालित करने वाले व्यक्तियों का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि 2021 में संचालित होने वाले सामूहिक किचन का भुगतान हो चुका है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 2020 में सामूहिक किचन संचालित करने वालों का भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नाला एवं सड़क का निर्माण

*30 **श्रीमती रेखा कुमारी (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार)ः**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बांध पंचमुखी हनुमान मंदिर से शंकर चौक तक लगभग 1 किलोमीटर सड़क के साथ-साथ नाला बनाना आवश्यक है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर गड्ढे होने से आवागमन बाधित है जिसके कारण दर्जनों रिहायशी कालोनी समेत पुरानी आबादी का बड़ा हिस्सा जलमग्न रहता है?

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नाला के साथ-साथ सड़क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कार्यपालक पदाधिकारी का प्रभार

*31 **श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी रजौली नगर पंचायत के प्रभार में हैं तथा नवादा से रजौली की दूरी 30 कि.मी. रहने के फलस्वरूप कार्य प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रजौली अनुमंडल में पदस्थापित किसी पदाधिकारी को नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी का प्रभार देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नाला का निर्माण

*32 **डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद कोर्ट एरिया स्थित भवरिया पुल से दरधा नदी तक रेलवे लाईन से पश्चिम नाला निर्माण नहीं होने से आमलोग एवं वाहनों को जमे हुए गंदे पानी से गुजरना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थान पर जल-जमाव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'क' में वर्णित स्थान पर नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उच्च स्तरीय जांच

*33 **प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के नरहट अंचल अंतर्गत ग्राम-गंगटा के रतन प्रभा की खतियानधारी भूमि की दूसरे व्यक्ति द्वारा बिक्री किये जाने के मामले में नरहट के अंचलाधिकारी ने दो बार दाखिल खारिज आवेदन को रद्द कर दिया था;

(ख) क्या यह सही है कि नरहट के अंचल अधिकारी के इस रद्द मामले में एक नया आवेदन प्राप्त करके दाखिल-खारिज को स्वीकृत कर दिया है;

(ग) क्या यह सही है कि इस पूरे मामले में गंभीर अनियमितता बरती गयी है तथा अंचल अधिकारी द्वारा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने की मंशा परिलक्षित होती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दायर करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कर्मचारी पर कार्रवाई

*34 **श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जिला- पटना, थाना- सालिमपुर, पोस्ट- करोटा, ग्राम- बहादुरपुर के अंतर्गत खाता सं.- 83, मौजा/थाना सं.- 171, खेसरा सं.- 159 के स्वामी श्री प्रवेश मिस्त्री, स्वर्गीय सुरेश मिस्त्री एवं स्वर्गीय चमारी मिस्त्री हैं;

(ख) क्या यह सही है कि जमीन के उत्तर चौहद्दी में श्री मनोज सिंह, वल्द स्वर्गीय साहदेव सिंह का घर स्थित है और इन्हीं के द्वारा जबरन गैर-कानूनी तरीके से निर्माण कार्य किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि तत्कालीन अंचलाधिकारी श्री रघुवीर प्रसाद द्वारा कर्मचारी श्री रितेश कुमार को उक्त जमीन पर श्री मनोज सिंह के द्वारा किये गये निर्माण की जांच कर उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया गया था;

(घ) क्या यह सही है कि तत्कालीन अंचलाधिकारी श्री रघुवीर प्रसाद द्वारा निर्गत आदेश के बावजूद कर्मचारी श्री रितेश कुमार के द्वारा किसी प्रकार की जांच नहीं की गई;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है एवं साथ ही उक्त दोषी कर्मचारी श्री रितेश कुमार पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त

***35 डा. रामवचन राय (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के घोघरडीहा अंचलान्तर्गत ग्राम- परसा, थाना नं.- 100 में अवस्थित खाता संख्या- 546 पुराना एवं 1899 नया का खेसरा संख्या- 5478/13130 एवं खेसरा संख्या- 5478/13131 से संबंधित भूमि अनावाद बिहार सरकार है, जिसे कुछ लोगों ने अनधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है;

(ख) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी, घोघरडीहा ने अपने पत्रांक- 256, दिनांक- 03.03.2020 के द्वारा उक्त जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने हेतु थानाध्यक्ष, घोघरडीहा से अनुरोध किया था, जिसका अनुपालन आज तक नहीं हो सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अतिक्रमणकारियों से उक्त गैरमजरूआ आम जमीन को सरकार कबतक मुक्त कराने का विचार रखती है?

पार्किंग व्यवस्था

***36 श्री सुनील कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना में गंगा नदी के किनारे नवनिर्मित गंगा पथ (मेरीन ड्राइव) पर रात में 20:00 बजे तक लोगों की भीड़ लगी रहती है, जिसके कारण वहां पर बहुत सारे ठेलों, खोमचों पर खाद्य सामग्रियां बेची जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि उस पथ पर पिकनिक के माहौल के कारण वाहनों का जमावड़ा हो जाता है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना घट रही है;

(ग) क्या सरकार उक्त स्थल पर सुव्यवस्थित ढंग से वेंडिंग जोन / कियोस्क निर्माण / पार्क / सौंदर्यीकरण एवं वाहनों की पार्किंग व्यवस्था करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सड़क का निर्माण

***37 श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम नगर निगम के आरा गुमटी से तकिया गुमटी तक सड़क अभी तक क्षतिग्रस्त है;

(ख) क्या यह सही है कि पोस्ट ऑफिस ओवरब्रिज जाम होने की स्थिति में वाहन बगल से आरा गुमटी से कच्ची सड़क से गुजरती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आरा गुमटी से तकिया गुमटी तक सड़क निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

फ्लाई ओवर का निर्माण

*38 **श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूरे विश्व के हिन्दू एवं बौद्ध श्रद्धालुओं के आस्था केंद्र गया शहर में हमेशा जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा फल्गु नदी पर छह लेन की सड़क बनायी गयी है, घुघड़ी टाड़ के पास बाइपास का निर्माण कार्य भी चल रहा है, डेलहा के लिए एक पुल एवं सड़क का निर्माण हुआ है परंतु इसे जोड़ने के लिए फ्लाई ओवर का निर्माण नहीं होने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुल पर फ्लाई ओवर का निर्माण कराकर शहरवासियों को जाम से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नीलामी कबतक

*39 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में आवास बोर्ड के काफी खाली भूखण्ड बेकार पड़े हुए है;

(ख) क्या यह सही है कि इन खाली भू-खण्डों को चिन्हित कर नीलामी कराने से सरकार एवं आम जनता दोनों को लाभ होगा;

(ग) क्या यह सही है कि गया जिले में ही आवास बोर्ड की लगभग 100 एकड़ से ज्यादा जमीन खाली पड़ी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र ऐसे खाली पड़े भू-खण्डों को चिन्हित कर नीलामी करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

स्थायी समाधान

*40 **श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर शहरी क्षेत्र में जल निकासी की स्थाई व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में कई मोहल्ले एवं घरों में नाला का पानी जमा रहता है, जिससे आमलोगों को घर से निकलने में काफी परेशानी होती है और सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बनी रहने के कारण आवागमन बाधित होता है;

(ख) क्या यह सही है कि शहर में जलजमाव से निजात के लिए अबतक कोई स्थाई समाधान नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में समस्तीपुर शहर में जलजमाव रोकने के लिए कोई स्थाई समाधान निकालने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

तालाब को अतिक्रमण मुक्त

*41 **प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी, नवादा के पत्रांक- 925, दिनांक- 26.06.2022 के द्वारा महुली पंचायत के ग्राम- महुली में प्राचीन तालाब को वाद सं.- 5/2022-23 के तहत अतिक्रमण मुक्त करने का पत्र निर्गत करने के उपरान्त भी अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रखण्ड- नवादा के ग्राम- महुली के प्राचीन तालाब को अतिक्रमण मुक्त करते हुए दोषी अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भवन का निर्माण

*42 **श्री अशोक कुमार पाण्डेय (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत दिनारा प्रखंड में मां यक्षिणी भवानी स्थल के पास सामुदायिक भवन नहीं होने के कारण जनमानस को कठिनाई होती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थल के समीप सामुदायिक भवन के निर्माण होने से आमजन को इसका लाभ मिल जाएगा;

(ग)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड ‘क’ में वर्णित स्थल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?